प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय**,** शहीद भगत सिंह मार्ग**,** फोर्ट**,** मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

10 जुलाई 2025

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और निगरानी के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार – 12-13 जून 2025

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार'- 13 जून 2025 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

एफएटीएफ ने पहले धन-शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उनके शासन में कार्यनीतिक कमियों वाले निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों की पहचान की थी और उन क्षेत्राधिकारों को बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत रखा था, जिन्होंने उनसे निपटने के लिए एफएटीएफ के साथ कार्य योजना तैयार की थी। ये क्षेत्राधिकार थे: अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, कोटे डी आइवर, क्रोएशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दि कांगो, हैती, केन्या, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओ पीडीआर), लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन। दिनांक 13 जून 2025 के एफ़एटीएफ़ के सार्वजनिक वक्तव्य के अनुसार, बोलीविया और वर्जिन द्वीप समूह (यूके) को बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार की सूची में जोड़ा गया है, जबकि क्रोएशिया, माली और तंजानिया को एफ़एटीएफ़ द्वारा समीक्षा के आधार पर इस सूची से हटा दिया गया है।

एफएटीएफ प्लेनरी, कार्यनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध (सीएफटी) में आनेवाली कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों की पहचान और निवारण के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कार्यनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों के संबंध में 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार' और 'बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार' शीर्षक से दस्तावेज जारी करती है। इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन को नहीं रोकती है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी 13 जून 2025 को एफएटीएफ द्वारा जारी अद्यतित सार्वजनिक वक्तव्य और दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज को निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है:

1. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-FATF-MONEYVAL-plenary-june-2025.html
2. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2025.html
3. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2025.html

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य क्षेत्राधिकारों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य काले धन की वैधता, आतंकवाद के वित्तपोषण तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से लड़ने के लिए मानक निर्धारित करना और विधिक, विनियामक और परिचालनगत उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, काले धन को वेध बनाने और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक रूप से उचित उपायों को अपनाने तथा उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ का निर्णयन निकाय, एफएटीएफ प्लेनरी, वर्ष में तीन बैठक करता है और इन वक्तव्यों को अद्यतन करता है, जिसपर ध्यान दिया जाए।

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/686